

राजस्थान-सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।
क्रमांक: नर्सिंग/पदौ/12मई/(एफ-15)/18/ दिनांक:-

::- संशोधित आदेश -::

निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: नर्सिंग/पदौ/12मई/(एफ-15)
/18/79 दिनांक:-03.05.18 में आंशिक संशोधन कर प्रतिलिपि क्रम संख्या-7 को
समस्त प्रदेशाध्यक्ष, कार्यरत नर्सिंग संवर्ग से जुड़े एसोसिएशन, राजस्थान पढा जावे।
शेष परिपत्र यथावत रहेगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/पदौ/12मई/(एफ-15)/18/87 दिनांक:- 10/05/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (ई0एस0आई0) राज0 जयपुर/आर0 आर0 सेन्टर/ भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
2. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज।
3. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह।
4. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग/स्कूल ऑफ नर्सिंग/ आर0एफ0पी0टी0सी0, जयपुर।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रदेशाध्यक्ष, कार्यरत नर्सिंग संवर्ग से जुड़े एसोसिएशन, राजस्थान।
8. प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र विभाग की बेवसाईट पर इम्पोर्टेन्ट लेटर कॉलम में प्रकाशित करें।
9. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर